भदोही।

कार्यालय पुलिस अधीक्षक

संख्या–च– 15/2022 दिनांकः फरवरी 12 ,2022

अल्पकालीक निविदा सूचना

सामान्य विधानसभा चुनाव–2022 के सप्तम् चरण में दिनांकः 07.03.2022 को जनपद भदोही में होने वाले मतदान को सकुशल सम्पन्न कराये जाने के सम्बन्ध में मतदान डियूटी हेतु बाहय जनपद से आने वाले पुलिस बल/अर्द्धसैनिक बल/होमगार्ड्स के ठहरने के स्थानों पर उनके उपयोग हेतु वस्तुओं/उपकरणों की सम्पूर्ति/उपलब्धता सुनिश्चित कराने एवं ब्रीफिंग हेतु पण्डाल तथा बैठने की व्यवस्था के लिये उत्तर प्रदेश सरकार से मान्यता प्राप्त फर्मो से दिनांकः21–02–2022 को मुहरबन्द निविदायें आमंत्रित की जाती है, जो उसी दिन 14–00 बजे पुलिस कार्यालय, भदोही मे मेरे द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा खोली जायेगी । निविदा फार्म प्रति रू0: 500/– की दर से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है । निविदा की शर्ते एवं अन्य विवरण की जानकारी निविदा की तिथि से पूर्व पुलिस कार्यालय, भदोही मे किसी भी कार्य दिवस अथवा विभागीय वेबसाइट www.uppolice.gov.in पर देखा जा सकता है ।
की जा सकती है ।

पुलिस अधीक्षक
भदोही ।

प्रतिलिपि–प्रतिसार निरीक्षक को सूचनार्थ एवं इस निर्देश से कि उक्त निविदा का विज्ञापन 02 दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराकर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें ।

2– प्रभारी मिडिया सेल को आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

Scanned with Oken Scanner

अल्पकालीन निविदा सूचना

उत्तर प्रदेश विभाग, जनपद भदोही

आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन–2022 के अन्तर्गत जनपद भदोही में दिनांकः 07.03.2022 को सम्पन्न होने वाले चुनाव के लिये चुनाव डियूटी में लगे केन्द्रीय पुलिस बल/राज्य पुलिस बल/होमगार्ड्स आदि के व्यवस्थापन, चुनाव डियूटी में लगे पुलिस बल की चुनाव पूर्व ब्रीफिंग एवं अन्तर्राज्यीय/अन्तर जनपदीय सीमा सील करने के लिये बैरियर लगाये जाने आदि अन्य प्रयोजनों हेतु विशेष आवश्यकतानुसार निम्नलिखित सामग्री किराये पर आपूर्ति किये जाने हेतु कतिपय शर्तो जिनका विवरण नीचे अंकित है, के अधीन (विभिन्न प्रयोजनों हेतु अलग–अलग) अल्पकालिक निविदा दिनांकः 21–02–2022 को अपरान्ह 13–00 बजे तक आमंत्रित की जाती है । उक्त निविदा तद्‌दिनांक को ही अपरान्ह समय 14–00 बजे पुलिस कार्यालय, भदोही में खोली जायेगी । निविदा के अन्य नियम व शर्तो को विभागीय वेबसाइट www.uppolice.gov.in पर देखा जा सकता है ।

सामन्य विधान सभा चुनाव–2022 के अवसर पर किराये पर ली जाने वाली सामग्रियों का विवरण–

प्रयोजन केन्द्रीय पुलिस बल/पी0ए0सी0/राज्य पुलिस बल/होमगार्ड्स/चौकीदार के व्यवस्थापन हेतु						
क0सं0	किराये पर लिये जाने वाली सामग्री का नाम	किराये पर लिये जाने वाली सामग्री की कुल आवश्यकता की संख्या	प्रति 24 घण्टे की दर	अवधि		घण्टे में
				कब से	कब तक	
1	3	4	5	6		
1	अस्थायी बाथरूम शहरी क्षेत्र	150	6515 (सम्पूर्ण अवधि के लिये)	03.03.2022	07.03.2022	120 घण्टा
2	अस्थायी बाथरूम ग्रामीण क्षेत्र	381	4940 (सम्पूर्ण अवधि के लिये)	03.03.2022	07.03.2022	120 घण्टा
3	मैटिंग/दरी (बिछाने हेतु)	1440	12	03.03.2022	07.03.2022	120 घण्टा
4	जनरेटर (7.5 केवीए)	50	506	03.03.2022	07.03.2022	120 घण्टा
5	एल0ई0डी0 बल्ब 20 वॉट	967	05	03.03.2022	07.03.2022	120 घण्टा
6	पानी की टंकी 500 लीटर	102	500	03.03.2022	07.03.2022	120 घण्टा
7	एक्टेन्शन बोर्ड मय वायर 6प्वाईट प्रति कम्पनी	206	40	03.03.2022	07.03.2022	120 घण्टा
8	विद्युत तार (मीटर में)	1000	12	03.03.2022	07.03.2022	120 घण्टा
9	होल्डर	345	05	03.03.2022	07.03.2022	120 घण्टा
10	बाथरूम बाल्टी 15 लीटर	1330	04	03.03.2022	07.03.2022	120 घण्टा
11	शौचालय बाल्टी 05 लीटर	291	04	03.03.2022	07.03.2022	120 घण्टा
12	मग्गा 01 लीटर	1330	04	03.03.2022	07.03.2022	120 घण्टा
13	चारपाई फोल्डिंग	420	75	03.03.2022	07.03.2022	120 घण्टा
4000 पुलिस बल के ब्रीफिंग हेतु						
1	पण्डाल	50625 वर्ग फिट	455625	एक दिवस	24घण्टा	
2	दरी	2812 वर्ग फिट	12	एक दिवस	24घण्टा	
3	कुर्सी प्लास्टिक	4000 अदद	08	एक दिवस	24घण्टा	
4	फैन्सी कुर्सी	200 अदद	12	एक दिवस	24घण्टा	
5	माईक	02 सेट	175	एक दिवस	24घण्टा	
6	हार्न	25 अदद	53	एक दिवस	24घण्टा	
7	माईक लाइन	68 मीटर	12	एक दिवस	24घण्टा	
8	विद्युत लाइन	68 मीटर	12	एक दिवस	24घण्टा	
9	मेज	20 अदद	14	एक दिवस	24घण्टा	
10	जनरेटर 40 के0वी0ए0	01 अदद	2329	एक दिवस	24घण्टा	
11	टिन/कनात	675 अदद	12	एक दिवस	24घण्टा	

उपर्युक्त सभी प्रयोजनों हेतु अलग–अलग निविदा फार्म भरा जायेगा तथा सभी प्रयोजनों की निविदा मुहरबन्द लिफाफे में अलग–अलग डाली जायेगी । यह निविदा दिनांकः 21–02–2022 को अपरान्ह 14–00 बजे मेरे द्वारा अधिकृत राजपत्रित अधिकारी द्वारा खोली जायेगी । निविदा खोलने के समय निविदा में प्रतिभाग करने वाले फर्म/ठेकेदार के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगें ।

Scanned with Oken Scanner

निविदा की शर्तेः–

1– निविदादाता फर्म का नियमानुसार व्यापार कर/जी0एस0टी0/पैन में पंजीकरण होना अनिवार्य है। निविदा के साथ पंजीकरण प्रमाण–पत्र की पठनीय छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा स्वतः निरस्त समझी जायेगी। किसी अन्य संस्थान से ब्लैकलिस्ट की गयी फर्म निविदा डालने हेतु अर्ह नहीं होगी ।

2– निविदा फार्म/आवेदन पत्र का मूल्य रू0 500/– है, निविदा आमंत्रित करने की तिथि से एक दिवस पूर्व तक कार्यालय अवधि में पुलिस कार्यालय, भदोही से प्राप्त किया जा सकता है। निविदा अस्वीकृत होने की दशा में सम्बन्धित फर्म को उक्त धनराशि वापस नहीं की जायेगी ।

3– प्रत्येक निविदादाता को 02 अलग–अलग लिफाफा मुहरबन्द करके एक बड़े मुहरबन्द लिफाफे में डालना होगा, जिसमे पहला लिफाफा टैक्टिकल बिड तथा दूसरा लिफाफा फाइनेन्सियल बिड का होगा। दोनों लिफाफे पर बिड का नाम सुस्पष्ट अक्षरों में अंकित होना चाहिए।

4– इच्छुक निविदादाता निविदा फार्म निविदा प्रकाशन की तिथि से टेण्डर डाले जाने की तिथि के एक दिवस पूर्व तक किसी भी दिन कार्य दिवस में प्रधान लिपिक शाखा, पुलिस कार्यालय भदोही में निर्धारित शुल्क जमा कर प्राप्त कर सकते हैं। निविदा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष दिनांकः 21-02-2022 को समय 10–00 बजे से अपरान्ह 13–00 बजे तक रखे गये टेण्डर बाक्स में डाला जायेगा तथा उसी दिन अपरान्ह 14–00 बजे अधोहस्ताक्षरी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य राजपत्रित अधिकारी द्वारा खोला जायेगा।

(क)टैक्निकल बिडः–

1– इस बिड मे फर्म का भाग एक, जिसमें यथा–निविदा दाता फर्म/प्रोपराइटर का नाम, पिता–पत्नी का नाम व पता, व्यापार कर, जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण–पत्र की प्रति, मोबाईल नम्बर, अर्नेस्ट मनी जमा करने हेतु मूल्य (एफ0डी0आर/एन0एस0सी0) जो पुलिस अधीक्षक, भदोही के नाम से बंधक के रूप में होगा, संलग्न किया जायेगा ।

2– कनात, शौंचालय एवं इस प्रकार के कार्य करने का विगत 03 वर्ष का अनुभव होने विषयक प्रमाण–पत्र ।

3– पूर्व में जनपद भदोही के किसी अन्य शासकीय विभाग में कार्य करने सम्बन्धी अभिलेख की प्रति ।

(ख)–फाइनेन्सियल बिडः–

सर्वप्रथम टैक्निकल बिड खोली जायेगी तथा उक्त बिड में निर्धारित शर्तो को पूर्ण करने वाली फर्म की फाइनेन्सियल बिड खोली जायेगी। फाइनेन्सियल बिड में निविदा फार्म का भाग–2 पूर्ण रूपेण भरा जायेगा, जिसमें किराये पर लिये जाने वाली सामग्री का मात्रा/अविध के आधार पर दर का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा ।

1– उपरोक्त समस्त आईटमों को आवश्यकतानुसार (समयावधि/सामग्री) कम या अधिक किये जाने तथा उनके उपभोग अवधि को घटाये–बढाये जाने का पूर्ण अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। टेण्डर में अस्थायी बाथरूम (शहरी/ग्रामीण क्षेत्र) के लिये निविदा में अंकित दर घण्टा के आधार पर निर्धारित न होकर बल्कि सम्पूर्ण अवधि के लिये अंकित की जायेगी। शेष अन्य वस्तु/सामग्री/मात्रा के सम्बन्ध में वस्तु/सामग्री का जितनी अवधि तक उपयोग किया जायेगा, उसी के अनुसार धनराशि का भुगतान किया जायेगा ।

2– किसी भी निविदा को किसी भी स्तर पर स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा तथा उक्त निर्णय के विरूद्व किसी फर्म व ठेकेदार को किसी भी न्यायालय के समक्ष वाद दायर करने का कोई अधिकार नहीं होगा ।

3– निविदा के साथ प्रथम प्रयोजन हेतु रू0 38,000/–, एवं द्वितीय प्रयोजन हेतु रू0–6,000/– कुल 44,000/–अर्नेस्ट मनी (नकद) के रूप में जमा करना अनिवार्य है ।

4– जिस फर्म की निविदा अंतिम रूप से स्वीकृत होगी, उसे सही प्रकार से कार्य करने सम्बन्धी इस आशय का अनुबन्ध पत्र भरना होगा कि चुनाव के अंतिम समय तक यदि किसी सामग्री की आवश्यकता होगी तथा उसे पहुँचाने हेतु निर्देशित किया जायेगा तो उसे तत्काल आपूर्ति करना होगा। उपरोक्त सामग्री की आपूर्ति निर्धारित स्थानों (जनपद के विभिन्न स्थानों जहॉ पर सम्बन्धित बल व्यवस्थति होगा) पर की जायेगी तथा भण्डारण एवं रख–रखाव की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म की होगी । किसी भी सामग्री को लाने व ले जाने सम्बन्धी किराया–भाडा अलग से प्रदान नहीं किया जायेगा ।

5– निविदाकर्ता के पास उपलब्ध सामान एवं सामग्री के भण्डारण स्थल का निरीक्षण किये जाने का अधिकार पुलिस विभाग के पास होगा। निरीक्षण किये जाने का निर्णय लिये जाने पर सामग्री का भण्डारण जनपद में कही प्रत्यक्ष रूप से कमेटी को दिखाना होगा ।

6– निविदा में उल्लिखित सामग्री के अतिरिक्त विशेष आवश्यकता पडने पर अन्य सामानों की सम्पूर्ति भी सम्बन्धित फर्म को करनी पड़ेगी ।

7– आपूर्ति की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता उच्च स्तर की होनी चाहिये। सामग्री की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर सामग्री वापस कर दी जायेगी तथा उसके स्थान पर निविदादाता फर्म/ठेकेदार को पुनः अच्छी गुणवत्ता के सामग्री की आपूर्ति समयान्तर्गत करनी होगी ।

8– निविदा स्वीकृत होने के 03 दिवस के अन्दर जमानत धनराशि के रूप में न्यूनतम निविदा के धनराशि की 05 प्रतिशत धनराशि जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा निरस्त कर शेष निविदाकर्ताओं में से न्यूनतम निविदा प्रस्तुत किये जाने वाले फर्म/ठेकेदार की निविदा स्वीकृत कर दी जायेगी ।

9– आपूर्तिकर्ता द्वारा आवश्यकतानुसार आपूर्ति हेतु निर्देशित किये जाने के उपरान्त यदि समय से आपूर्ति नहीं की जाती है तो निविदाकर्ता द्वारा जमा की गयी जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी तथा निविदा निरस्त कर दी जायेगी ।

10– निर्माण संबंधी कार्यो में पानी की व्यवस्था निविदादाता को स्वयं करना होगा।

11– कार्य पूर्ण होने के एक सप्ताह के अन्दर बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है, अन्यथा बिलम्ब आदि के लिये सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार स्वय उत्तरदायी होगें ।

Scanned with Oken Scanner

12– निविदा स्वीकृति का कार्यादेश प्राप्त होने के बाद सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार निर्धारित तिथि तक सम्पूर्ण निविदा कार्य/सम्पूर्ति आदि व्यवस्था पूर्ण कर लेगा । यह व्यवस्था फर्म/ठेकेदार द्वारा स्वयं अपने कर्मचारी/संसाधन के माध्यम से किया जायेगा। निर्धारित तिथि तक आदेशित फर्म/ठेकेदार द्वारा अपेक्षित व्यवस्था नहीं की जायेगी, तो उस फर्म के ठेकेदार/फर्म की धरोहर/जमानत धनराशि जब्त कर लिया जायेगा तथा दूसरे फर्म तथा ठेकेदार को कार्यादेश निर्गत कर दिया जायेगा, साथ ही उसे ब्लैक लिस्ट करने की कार्यवाही भी की जायेगी ।

13– बिलों का भुगतान उ0प्र0 शासन/उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा नियत मानक के अन्तर्गत आवंटित अनुदान से किया जायेगा ।

14– किसी प्रकार की सशर्त निविदाएं नहीं की जायेगी, अन्यथा उन्हें स्वीकार नहीं किया जायेगा ।

15– स्वीकृत निविदादाता फर्म/ठेकेदार से नियमानुसार अनुबन्ध किया जायेगा।

16– निर्धारित शर्तो का पालन न करने वाले ठेकेदार/फर्म का टेण्डर निरस्त कर दिया जायेगा ।

17– निविदा न्यूनतम दर के आधार पर स्वीकृत की जायेगी। यदि अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्धारित शर्तो एवं क्वालिटी में अन्तर पाया जाता है तो किसी भी फर्म की निविदा अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास पूर्णतया सुरक्षित रहेगा।

18– लाउडस्पीकर व माईक एवं जनरेटर व्यवस्था में पृथक से तार के लिये कोई अतिरिक्त धनराशि देय नहीं होगी ।

19– अधोहस्ताक्षरी सबसे कब धनराशि वाले निविदा/अथवा किसी निविदा को स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने के लिये स्वतंत्र है तथा निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का कारण बताने के लिये बाध्य नहीं है।

20– विद्युत व्यवस्था में तार/होल्डर की कीमत भी बल्ब/हैलोजन के साथ सम्मिलित होगी ।

21– जी0एस0टी0 के सम्बन्ध में कार्यवाही वित्त मंत्रालय , भारत सरकार नई दिल्ली के नोटिफिकेशन संख्या 12/2017 सेन्ट्रल टैक्स(रिट) दिनांकः 28–06–2017 में निहित प्राविधानों के अनुरूप किया जायेगा ।

22– अरथाई बाथरूम (शौचालय/स्नानागार) के उपभोग के उपरान्त फर्म द्वारा किराये पर ली गयी सामग्री वापस लेने के उपरान्त वहाँ पर स्वच्छता का ध्यान रखते हुये समतलीकरण आदि की कार्यवाही करायी जायेगी, जिसका अलग से कोई चार्ज देय नहीं होगा ।

संख्या–च– 15 /2022
दिनांकः फरवरी 14 ,2022

पुलिस अधीक्षक
भदोही ।

द्वारा ई–मेल/क्यू मेल/डाक /फैक्स से
प्रतिलिपि–निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सूचनार्थ प्रेषित–

1– अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।
2– पुलिस अपर पुलिस महानिदेश्क, वाराणसी जोन, उ0प्र0 वाराणसी ।
3– पुलिस उप महानिरीक्षक, विन्ध्याचल परिक्षेत्र, उ0प्र0 मीरजापुर ।
4– जिलाधिकारी भदोही को सादर सूचनार्थ ।
5– समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0 को जनपदों में संचालित फर्मो को विज्ञप्ति उपलब्ध कराने एवं प्रचार–प्रसार कराने हेतु ।
6– अपर पुलिस अधीक्षक, भदोही को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ ।
7– जिला सूचना अधिकारी भदोही को व्यापक प्रचार–प्रसार कराये जाने हेतु ।
8– अधिशासी अभियन्ता नगर पालिका परिषद, ज्ञानपुर भदोही।
9– अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग ज्ञानपुर, भदोही ।
10– क्षेत्राधिकारी ज्ञानपुर/भदोही/चौरी जनपद भदोही ।
11– समस्त थाना प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को इस निर्देश से कि अपने–अपने क्षेत्र में प्रचार–प्रसार करना सुनिश्चित करें ।
12– प्रतिसार निरीक्षक को सूचनार्थ ।
13– प्रभारी मिडिया सेल को आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
14– प्रधान लिपिक/आंकिक को आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
15– दफ्तरी को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु ।
16– कार्यालय प्रति ।

Scanned with Oken Scanner